

सं बी-20018/1 / 2008-09 / एनसीआरपीबी

सेवा में

सूची के अनुसार ।

विषय:- एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा जारी ऋण सहायता पर ब्याज दर और नियम व शर्तों में परिवर्तन।

मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा जारी ऋण सहायता पर ब्याज दर और नियम व शर्तों में निम्नलिखित संशोधन किया गया है :-

क्रम सं	परियोजनाओं की प्रकार / श्रेणी	ब्याज दर		समय सीमा	
		वर्तमान ब्याज दर	संशोधित ब्याज दर *	वर्तमान	संशोधित
(i)	प्राथमिकता इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना अर्थात जल आपूर्ति, सीवरेज, सफाई, जल निकासी, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	7.50% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष	15 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 3 साल का स्थगन काल सहित)	15 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 3 साल का स्थगन काल सहित)
(ii)	सड़क, आर. ओ. बी. / आर. यू. बी. एवं एक्सप्रेसवे, सस्ती / ईडब्ल्यूएस हाउसिंग	7.50% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष	10 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित)	10 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित)
(iii)	मेट्रो / रैपिड रेल / आर. आर. टी. एस.	7.50% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष	10 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित)	20 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 5 साल का स्थगन काल सहित)
(iv)	पावर सेक्टर परियोजनाओं उत्पादन, पारेषण और वितरण	7.50% प्रति वर्ष	7.50% प्रति वर्ष	10 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित)	10 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित)
(v)	भूमि विकास परियोजनाओं आवासीय / औद्योगिक / वाणिज्यिक और अन्य बुनियादी सुविधाओं अर्थात तकनीकी / चिकित्सा संस्थानों	9.25% प्रति वर्ष	8.50% प्रति वर्ष	10 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित)	10 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित)

* एनसीआरपीबी ब्याज की दर और नियम व शर्तों में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

Contd ... 2

2. ब्याज की यह संशोधित दरे ऋण किश्तों के सभी ताजा रिलीज (नई / चल रही परियोजनाओं के लिए) लागू होंगे हैं। ऋण किश्तों की चुकौती अनुसूची (रीपेमेंट शिड्यूल) के अनुसार, समय पर भुगतान हेतु, ब्याज दर में कमी (0.25%) की छूट, उपलब्ध होगी।
3. जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए मंजूर, परियोजना लागत का 15 % तक अनुदान (बोर्ड द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों को पूरा करने पर) को जारी रखा जाएगा।
यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया।


(सुशील पुरोहित)

निदेशक (ए एंड एफ)



No. B-20018/1/2008-09/NCRPB

Dated 18.07.2016

To

As per list.

Sub: Revision of Rate of Interest and terms & conditions on Loan Assistance given by NCR Planning Board.

I am directed to inform that the Rate of Interest and terms & conditions on Loan Assistance given by NCR Planning Board for various types of projects, have been revised as under:-

Sl. No.	Types of projects/Category	Interest Rate		Tenure	
		Present Interest Rate	Revised Interest Rate*	Present Tenure	Revised Tenure
(i)	Priority Infrastructure Project viz. Water Supply, Sewerage, Sanitation, Drainage, and Solid Waste Management	7.50%p.a	7.00%p.a	Maximum of 15 year including moratorium period of 3 year for repayment of principal amount	Maximum of 15 year including moratorium period of 3 year for repayment of principal amount
(ii)	Roads, ROB,s & Flyovers,RUB, Expressways, Affordable/EWS Housing	7.50%p.a	7.00%p.a	Maximum of 10 year including moratorium period of 2 year for repayment of principal amount	Maximum of 10 year including moratorium period of 2 year for repayment of principal amount
(iii)	Metro /Rapid Rail/RTS	7.50%p.a	7.00%p.a	Maximum of 10 year including moratorium period of 2 year for repayment of principal amount	Maximum of 20 year including moratorium period of 5 year for repayment of principal amount
(iv)	Power Sector Projects- Generation, transmission and Distribution	7.50%p.a	7.50%p.a	Maximum of 10 year including moratorium period of 2 year for repayment of principal amount	Maximum of 10 year including moratorium period of 2 year for repayment of principal amount
(v)	Land Development Projects- Residential/ Industrial/Commercial and other Infrastructure viz. Technical/Medical institutions	9.25%p.a	8.50%p.a	Maximum of 10 year including moratorium period of 2 year for repayment of principal amount	Maximum of 10 year including moratorium period of 2 year for repayment of principal amount

* NCRPB reserves the right to revise the Rate of Interest and terms & conditions as and when necessary


Contd...2

-2-

2. This revised rate of interest shall be applicable for all fresh releases of loan installments for both ongoing as well as new projects. A rebate of 0.25% by reduction in interest rate, for timely payment of loan installments, strictly as per repayment schedule, shall be available.

3. Grant upto 15% of the sanctioned project cost for water supply and sanitation projects on completion subject to fulfillment of terms & conditions laid down by the Board shall be continued.

This issues with the approval of competent authority.



(Sushil Purohit)
Director (A&F)